

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इतिहास तथा जज</p>	<p>नम्बर द त अहकाम ज हुक्म की त में जारी</p>
<p>8/11/21</p>	<p>पत्रावली कोष...<sup>611/14/2021</sup> को पेश हुई। आगामी दिनांक 2.8-4-22 को पेश हो।</p>	
<p>28.4.22</p>	<p>उपपक्ष पत्र पेश किया पीएससीन अधिकारी शासकीय कार्य से बाहर है। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 5.5.22 को पेश हो।</p> <p>रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल</p>	
<p>5.5.21</p>	<p>उपपक्ष पत्र पेश किया पीएससीन अधिकारी शासकीय कार्य से बाहर है। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 28.7.21 को पेश हो।</p> <p>रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल</p>	
<p>28.7.21</p>	<p>पत्रावली पेश हुई, अभिभावकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्वयं निष्कार रखने से पत्रावली दिनांक 3/3/22 को पेश हो।</p>	
<p>13.10.22</p>	<p>उपपक्ष पत्र पेश किया पीएससीन अधिकारी शासकीय कार्य से बाहर है। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 8/13.2.22 को पेश हो।</p> <p>रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल</p>	
<p>8.12.22</p>	<p>पत्रावली पेश हुई, अभिभावकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्वयं निष्कार रखने से पत्रावली दिनांक 23.2.23 को पेश हो।</p>	
<p>23.2.23</p>	<p>पत्रावली पेश हुई, अभिभावकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्वयं निष्कार रखने से पत्रावली दिनांक 20/23 को पेश हो।</p>	
<p>20-4-23</p>	<p>पत्रावली पेश हुई, वकील वादीगण अनुपस्थित। वादीगण एवं वादीगण के अधिवक्ता को पत्रिणी बार केस क्रक कर आवाप्ये दिलायी जाने के बाद भी उपस्थित नहीं। वकील वादीगण के अनुपस्थित रहने से वादीगण का वाद पत्र अदम हाजरी / अदम पैरवी से स्वारीज बिया जाता है। पत्रावली फौजदारी शुमार होकर अन्तर से कम हो।</p>	

उपखण्ड अधिकारी  
मांडल जिला भीलवाड़ा